

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश;

आवंटन

आयोजनागत-अनुदान सं०-14
तेरह अंको का कोड-2515000010300

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

संख्या 1/शा०/०) /2014-1/21/2014 : लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2014

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज, निदेशालय, परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी०आर०जी०एफ०) के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष राचिव पंचायतीराज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-749(1)/33-3-2014-35/2014, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में वेतन भत्ता आदि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृत (माह अप्रैल 2014 से जुलाई, 2014 तक) परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी०आर०जी०एफ०) के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रू०-1890000/- (रूपया अठारह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक व्यय न किया जाय।

3- धनराशि के कोषागार से आहरण की फौजग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6- उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत गानक मदों के नामे डाला जायेगा।

7- वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्थ धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

8- सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम-27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

9- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी०एम०-4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

10- अहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुक्तानुसार बी0एम0-4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

11- यदि बी0एम0-4 पर सूचना नियमित एवं समयबद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

12- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र गोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किए जायेगा।

13- एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से अहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सखुति कर दी जायेगी।


14- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना इस कार्यालय को निश्चिंत रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिक्तलिपियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-35 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

महदीय,


निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/07.../1/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

3- मह लेखाकार सी0पी0 सी0 2 उ0प्र0, इलाहाबाद।


4- महा लेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

5- परिष्कृत उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि ध्यानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0), उत्तर प्रदेश।

8- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।


(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

पंचायत संख्या:- 1-sha-07-2014-1-21-2014
 आवंटन आदेश संख्या:- 001-02-2014
 वित्तीय वर्ष:- 2014-2015
 आवंटन दिनांक-25/04/2014

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य समृद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
 संस्थापिका:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मत्तदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
 03 - पंचायती राज निदेशनालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	03-प्रवास भत्ता	04-यात्रा खर्च	05-समानोत्तरण यात्रा खर्च	06-अन्य भत्ता	08-कार्यालय खर्च	11-लेखन सामग्री और फाइलिंग के खर्च	13-दैनिकीय भत्ता	26-मशीन और मजदूरी/प्रोत्साहन भत्ता	42-अन्य खर्च	46-समायुक्त भंडार/आवृत्तिसमय का खर्च	योग
1	प्रचारक भन्ना, सर्विसि-7787/- निदेशन, पंचायती राज, 30570, बस्तरस-011- पंचायत शाखा निदेशनालय	640000 640000	640000 640000	17000 17000	33000 33000	133000 133000	167000 167000	50000 50000	10000 10000	33000 33000	67000 67000	100000 100000	1890000 1890000
	योग	640000 640000	640000 640000	17000 17000	33000 33000	133000 133000	167000 167000	50000 50000	10000 10000	33000 33000	67000 67000	100000 100000	1890000 1890000

महसूबा- (वर्तमान आवंटन):-
 महसूबा- (प्रणामी आवंटन):-

रुपया अठारह लाख नब्बे हजार
 रुपया अठारह लाख नब्बे हजार

शहनाइ अहमद अंसारी
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

